समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प जबलपुर

निग रानी 2047-I-15

1. नन्हू लाल रजक आयु 42 वर्ष वल्द बाबूलाल रजक
2. सुरेश कुमा आयु 45 वर्ष वल्द बाबूलाल रजक
3. सतीष कुमार आयु 38 वर्ष वल्द बाबूलाल रजक
4. देवदास आयु 36 वर्ष वल्द बबूलाल रजक

सभी का निवास स्थान शाहपुर तहसील गाडरबारा जिला नरसिंहपुर(म0 प्र0)

...............रिविजनकर्तागण

बनाम

पीताम्बर प्रसाद आयु लगभग 75 वल्द छोटेलाल पचौरी निवासी –शाहपुर तहसील गाडरबारा जिला नरसिंहपुर(म0 प्र0)

...........उत्तरवादी

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959

रिविजनकर्ता न्यायालय तहसीलदार महोदय गाडरवारा के द्वारा पारित रा0 मा0 कं0 385 ब 121 बर्ष 2014–2015 आदेश दिनांक 26.03.2015 अंतरिम आदेश से असंतुष्ट होकर प्रकरण मे अनेक आधार होते हुए निम्न आधारो पर रिविजन प्रस्तुत करते है:–

रिविजन के आधार

1. यह कि उत्तरवादी ख0न0 285 एवं ख0नं0 286 स्थित मौजा शाहपुर के पूर्ण भाग के मालिक काविजदार नहीं है जवकि उत्तरवादी के भाई शारदा प्रसाद है तथा शारदा प्रसाद को ख0 नं0 285 एवं 286 में से 0.914 हैव रिविजनकर्ता नन्हूलाल को बैनामा दिनांक 4.6.2003 को बेच कर कब्जा हटा दिया है इसी प्रकार ख0 नं0 285 एवं 286 में से रकवां 0.916 है0 स्थित मौजा शाहपुर की जमीन देवदास को बैनामा दिनांक 4.6.2003 को बेची इस प्रकार उत्तरवादी ख0 नं0 285 एवं 286 का पूर्ण मालिक नही है तथा उपरोक्त उल्लेखित बैनामा मे रास्ते का कोई उल्लेख नही है।
2. यह कि विद्ववान तहसीलदार महोदय गाडरवारा ने कलेक्टर नरसिंहपुर के द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 24.12.14 के अनुसार विगत 3 वर्ष से लंवित प्रकरण का तत्काल निराकरण करने हेतु उत्तरवादी के आवेदन पत्र पर दिये थे। परंतु तहसीलदार ने प्रकरण का पूर्ण रूप से निराकरण न कर अंतरिम आदेश विना विधिवत सुनवाई किये पारित किया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी 2047–एक / 2015 जिला–नरसिहपुर

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा कों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री बृजेश साहू उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार तहसील गाड़रवारा जिला नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 385–बी–121 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2015 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिरिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला नरसिंहपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29 / 04 / 19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29 / 4 / 19 **कलेक्टर जिला नरसिंहपुर**	